राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	बालू बनाम हनुमान 546/2019, 547/2019 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.9.25	पत्रावलीयां प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस के आधार पर दोनों अपीलों का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया	अत: दोनों पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो. संख्या 1 लगा. 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा खातेदारी, तकासमाँ व स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण/अपीलान्ट्स इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सयुक्त हिन्दू परिवार के मुशर्का खानदान के सदस्य है व स्व. ईशर के वंशज है	वाद पत्र में आगे सजरा खानदान का अंकन करते हुये अंकित किया गया कि जोधा 1990 मे नाऔलाद फौत हो गया और वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जो स्व. श्योजी के जायन्दा पुत्र है ओर हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार पक्षकारान प्रत्येक 1/5, 1/5 हिस्से के उक्त सम्पत्ति/आराजी में अधिकारी है	खाता नम्बर 83,84,50,51 की आराजीयात वाके माल्यावास, प.ह. रोजड़ी, तह. फुलेरा, जिला जयपुर में स्थित है जिसके अनुसार खाता संख्या 83 की आराजी खसरा नम्बर 97/1 रकबा 10 बिस्वा, 100/3 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 101/2 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा व खाता संख्या 84 की आराजी खसरा नम्बर 94/1/1 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 97/3/1 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खाता संख्या 50 की आराजी खसरा नम्बर 100/2 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा व खाता नम्बर 51 की आराजी खसरा नम्बर 98 रकबा 3 बीघा, 100/4 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 97/2 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा वाके रोजड़ी में स्थित है जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 यानि पांचो भाइयो ने शामलाती सभी की आमदनी से क्रय की है जिसमे वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 यानि पांचो भाई समान भाग अर्थात प्रत्येक 1/5, 1/5 हिस्से के हकदार है और वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 यानि पांचो भाई 1999 तक शामिल में ही रहते थे और आराजी शामिल में ही काश्त करते थे	विवादग्रस्त आराजीयात पांचो भाइयो की आमदनी से क्रय शुदा आराजी है ओर पांचो भाई का हिस्सा समान दर्ज होना चाहिए था, किन्तु बालू प्रतिवादी नम्बर 1 बड़ा होने व कर्ता खानदान होने के कारण जो जमीन की खरीद फरोख्त देखता था, जिसने खाता नम्बर 83 की आराजी गलत तरीके से बालू पुत्र श्योजी, 1/3 बालू, शंकर, हनुमान बंशी, मदन पिता श्योजी 2/3 व खाता नम्बर 51 की आराजी में जोधा, बालुराम, शंकरलाल, बंशीलाल का 2/3 हिस्सा व हनुमान, मदनलाल का 1/3 हिस्सा दर्ज करा दिया जो गलत है क्योकि जोधा नाऔलाद फौत हो गया ओर	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	बालू बनाम हनुमान 546/2019, 547/2019 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जोधा के दर्ज हिस्से की सारी जमीनों में वादीगण व प्रतिवादीगण 1 व 2 पांचो भाइयो का बराबर का हिस्सा है क्योकि सभी भाइयो ने शामलाती में सभी आराजी खरीदी थी | वर्तमान में खाता नम्बर 83 की आराजी में प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/3 हिस्सा व वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का 2/3 हिस्सा दर्ज है जो गलत है व खाता नम्बर 84 की आराजी में पांचो का बराबर-बराबर हिस्सा दर्ज है जो सही है व खाता नम्बर 50 की आराजी में जोधा पुत्र ईशर का 1/2 हिस्सा दर्ज है जो गलत है वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 जो निकटतम वारिस है उसके हिस्से में भी समान भाग के हकदार है व खाता नम्बर 51 की आराजी में जोधा पुत्र ईशर, बालुराम, शंकरलाल, बंशीलाल पिता श्योजी हिस्सा 2/3 हनुमान, मदनलाल पिता श्योजी हिस्सा 1/3 दर्ज है जो गलत है वास्तव में इस आराजी में भी वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2, पांचो का समान भाग यानि प्रत्येंक 1/5, 1/5 हिस्से के हकदार है | इस प्रकार खाता नम्बर 83, 84, 50, 51 जिनके खसरा नम्बरान 97/1, 100/3, 101/2, 94/1/1, 97/3/1, 100/2, 98, 100/4, 97/2 कुल किता 9 कुल रकबा 23 बीघा 13 बिस्वा वाके माल्यावास प.ह. रोजड़ी में स्थित है में वादीगण 3/5 हिस्से के व् प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 का 2/5 हिस्सा है और इसी अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है ओर सभी भाइयो ने शामलाती क्रय की है ओर सभी का बराबर-बराबर पैसा लगा है, किन्तु प्रतिवादीगण नम्बर 1 ने सभी का बराबर-बराबर हिस्सा दर्ज न कराकर गलत तरीके से पैरा नम्बर 5 अनुसार दर्ज करा दिया जो गलत है | जबकि कब्जा पांचो का समान भाग पर है | राजस्व रिकार्ड में अलग-अलग हिस्सा दर्ज होने से पांचो भाइयो में रंजिश बढने का अंदेशा हो गया है, वादीगण ने प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 को कई बार हिस्सेनुसार दुरुस्ती कराने को कहा तो प्रतिवादीगण विश्वास दिलाते रहे, काबिज हो काश्त करते रहो | अंत: अत: वादीगण आश्वस्त रहे, काश्त करते रहे ओर आज भी काबिज है, किन्तु जमीनों के भाव बढ़ जाने से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की नियत खराब हो गयी ओर गलत दर्ज हिस्सेनुसार आराजी विक्रय करने व वादीगण को उनके 3/5 हिस्से से बेदखल करने पर उतारू है | ऐसी स्थिति में वादीगण के लिये यह वाद बाबत घोषणा, ख़ातेदारी तथा तकासमा आराजी स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ | वाद पत्र के अंत में ईस्तदुआ की गयी कि वादीगण का वाद विरुद्धप्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा इस अमर की फरमायी जावे कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 97/1, 100/3, 101/2, 94/1/1, 97/3/1, 100/2, 98, 100/4, 97/2 कुल किता 9 कुल रकबा 23 बीघा 13 बिस्वा वाके माल्यावास प.ह. रोजड़ी में वादीगण 3/5 हिस्से के व प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	बालू बनाम हनुमान 546/2019, 547/2019 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

का 2/5 हिस्से के सयुक्त खातेदार काश्तकार है व खाता नम्बर 50, 51 में जोधा पुत्र ईशरा के दर्ज हिस्से में भी वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के उत्तराधिकारी होने से उसके हिस्से में भी समान भाग के अधिकारी है यानि कुल आराजी में वादीगण 3/5 हिस्से के व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 दोनों 2/5 हिस्से के खातेदार काश्तकार है | वाद तकासमा का प्रारंभिक डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी का तकासमा किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 का प्रत्येक का 1/5 हिस्सा मौके के कब्जे अनुसार अलहदा किया जाकर नक्शे कुर्रेजात मंगवाये जाकर वाद अन्तिम डिक्री फरमाया जावे एवं प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे |

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की और से उनके अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 बाद तामील अनुपस्थित रहे | रेस्पो. संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब वाद प्रस्तुत किया गया | तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायम किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 15/09/2009 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 21/12/2009 पारित की गयी | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष पृथक-पृथक प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 15/09/2009 के विरुद्ध अपील संख्या 547/2019 उनवानी बालू बनाम हनुमान एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 21/12/2009 के विरुद्ध अपील संख्या 546/2019 उनवानी बालू बनाम हनुमान अपीले प्रस्तुत की गयी | जिसमे उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया |

अधिवक्ता उभयपक्ष की लिखित बहस पर गौर किया एवं पत्रावलीयो का अवलोकन किया गया | लिखित बहस में उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावलीयो का अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है की अपीलार्थी द्वारा यह दोनों अपीले करीबन 10 वर्ष की डिले के साथ पेश की गयी है एवं इतनी लम्बी अवधि को कन्डोन करवाने हेतु दोनों अपीलों के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम में अपीलार्थी द्वारा सरसरी तौर पर तथ्य अंकित कर लाभ चाहा गया है, जबकी अपीलाधीन निर्णय व डिक्रीयो का संज्ञान अपीलार्थी को पूर्व में ही होना स्पष्ट है | ऐसी स्थिति में अपीलार्थी मियाद का लाभ प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी नही रह जाते है | इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा मुख्य रूप से तामील के बिन्दु को उठाया गया है एवं इस सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	बालू बनाम हनुमान 546/2019, 547/2019 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सीपीसी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ख़ारिज कर दिये जाने के उपरान्त न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपील को भी दिनांक 13/08/2019 को ख़ारिज कर दिया गया है | ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले क्रमश: 546/2019 व 547/2019 मियाद बाहर प्रस्तुत होने एवं सारहीन व आधारहीन होने से ख़ारिज की जाती है |

पत्रावलीयां फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 24/09/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर